रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222048
CG-DL-E-28092020-222048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2988] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942
No. 2988] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

का.आ. 3350(अ).— जबकि, नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), जिसे यहां इसके पश्चात एनएससीएन(के) कहा गया है, का घोषित उद्देश्य नागालैंड को पूर्वोत्तर के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर भारत संघ से अलग करके भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करके एक संप्रभु नागालैंड सृजित करना है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि एनएससीएन(के) लगातार:-

(i) भारत संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार के नागा आबादी वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक संप्रभु नागालैंड सृजित करने का लक्ष्य रख रहा है;

(ii) विधिविरुद्ध तथा हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है और इस प्रकार भारत सरकार तथा नागालैंड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश सरकारों के प्राधिकार की अनदेखी करता रहा है तथा लोगों में आतंक और भय फैलाता रहा है;

(iii) स्वयं को असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए), मणिपुर के मैतेई संगठनों जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगठनों के साथ जोड़ रहा है;

(iv) फिरौती के लिए अपहरण तथा कारोबारियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सिविलियनों से जबरन धन वसूलने में संलिप्त रहा है;

(v) अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए काडरों की भर्ती हेतु अभियान चला रहा है;

(vi) अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार कैम्प और छुपने के स्थान (अड्डे) स्थापित कर रहा है;

(vii) हथियार और अन्य साजो-सामान खरीदने के लिए अन्य देशों में भारत-विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त कर रहा है;

(viii) पृथक राष्ट्र हासिल करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को विखंडित करने के आशय से या जो विखंडित करता है, विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि दिनांक 28-9-2015 से एनएससीएन(के) 104 हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है जिनके परिणामस्वरूप, 07 सुरक्षा बल कार्मिकों और 06 आम नागरिक मारे गए और 75 आम नागरिकों का अपहरण कर लिया गया।

और जबकि, केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि एनएससीएन(के) की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक हैं तथा यह कि यह एक विधिविरुद्ध संगठन है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि एनएससीएन(के) की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया एवं उनको नियंत्रित नहीं किया गया तो संगठन नई भर्तियां कर सकता है, हिंसक, आतंकवादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है, धन एकत्र कर सकता है और निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है; और इसलिए, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनसे एनएससीएन(के) को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक हो गया है;

अब इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे यहां इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) को उसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है।

और जबकि, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए, केंद्रीय सरकार की यह दृढ़ राय है कि एनएससीएन(के) और उसके सभी गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं.11011/05/2020-एनई.V]

सत्येन्द्र गर्ग,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

S.O. 3350(E).—Whereas, the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [hereinafter referred to as NSCN (K)], has its professed aim to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organisations of Nagaland and North Eastern Region;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that the NSCN (K), is continuously:-

(i) aiming to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union ;

(ii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Governments of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh and spreading terror and panic among the people;

(iii) aligning itself with other unlawful association like the United Liberation Front of Asom (ULFA), Meitei organisations of Manipur ;

(iv) indulging in kidnapping for ransom and extortion of money from businessmen, Government officials and other civilians ;

(v) embarking on a drive for recruitment of cadres to continue its terrorist activities;

(vi) establishing camps and hideouts across the international borders ;

(vii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance.

(viii) indulging in unlawful and violent activities intended to disrupt, or which disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate State ;

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that since 28-9-2015, NSCN (K) has been involved in 104 violent incidents resulting in killings of 07 security forces personnel and 06 civilians and abduction of 75 civilians.

And Whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NSCN (K) are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the NSCN (K), the organisation may make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare the NSCN (K) as an unlawful association with immediate effect;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] along with all its factions, wings and front organisations, as an unlawful association.

And Whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NSCN (K) along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No.11011/05/2020-NE.V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.28 15:14:03 +05'30'